



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **17-09-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1- मोबाईल चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों तथा 01 बाल अपचारी को थाना कटघर पुलिस ने किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है दिनांक 15.09.2025 को वादी मुकूल शर्मा पुत्र उमेश शर्मा निवासी जनता मैडिकल स्टोर नया गांव थाना मझोला ने अज्ञात चोर द्वारा वादी का मोबाईल चोरी कर ले जाने आदि के संबंध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना कटघर पर मु0अ0सं0-579/25 धारा-303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 16.09.2025 की रात्रि में व0उ0नि0 श्री विनोद कुमार गौतम थाना कटघर द्वारा मय हमराही पुलिसबल के मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये आरोपी 1.विशाल पुत्र निखलेश निवासी ग्राम जोका थाना तीनपहाड जिला साहिबगंज (झारखण्ड) 02.गंगा कुमार पुत्र चोना महतो निवासी महाराजपुर थाना साहिबगंज टाउन जिला(झारखण्ड) 03.राजीव पुत्र धर्मपाल निवासी महाराजपुर थाना साहिबगंज टाउन जिला साहिबगंज(झारखण्ड) (बाल अपचारी) को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 18 मोबाइल फोन व 300 रुपये बरामद किये गये, बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 317(2),317(4),317(5) बीएनएस-2023 की वृद्धि की गयी है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार आरोपी:-

- 1.विशाल पुत्र निखलेश निवासी ग्राम जोका थाना तीनपहाड जिला साहिबगंज (झारखण्ड)
- 02.गंगा कुमार पुत्र चोना महतो निवासी महाराजपुर थाना साहिबगंज टाउन जिला(झारखण्ड)
- 03.राजीव पुत्र धर्मपाल निवासी महाराजपुर थाना साहिबगंज टाउन जिला साहिबगंज(झारखण्ड) (बाल अपचारी)

बरामदगी:-

18 मोबाइल फोन व 300/- रुपये

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0-579/25 धारा-303(1) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.व0उ0नि0 श्री विनोद कुमार गौतम,
- 2.उ0नि0 गौरव राठौर
- 3.भूपेन्द्र कुमार
- 4.मोनू कुमार थाना कटघर

2- थाना बिलारी पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग में वाछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया -

अवगत कराना है कि दिनांक 19.05.2025 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना बिलारी द्वारा साक्ष्यों व प्राप्त सूचनाओं के आधार अभियुक्तों द्वारा एक सुसंगठित गैंग बनाकर थाना क्षेत्र व अन्य थाना क्षेत्रों में सुपर फास्ट एक्स प्रेस डेली न्यूज पेपर नाम से फर्जी पैड एवं पदाधिकारी बनकर लोगों से अवैध वसूली करने जैसे संगीन अपराध कारित कर आर्थिक - भौतिक लाभ प्राप्त कर अवैध रूप से धन अर्जित कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करना के संबंध में अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0- 222/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम बनाम विजय वीर पुत्र भूरा जाटव आदि के पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना थाना प्रभारी कुन्दरकी द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 17.09.2025 को उ0नि0 श्री विपिन कुमार द्वारा मय पुलिस टीम के अभियुक्त **विजय वीर पुत्र भूरा जाटव निवासी ग्राम मीरापुर माफी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद** को गिरफ्तार किया गया।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

विजय वीर पुत्र भूरा जाटव निवासी ग्राम मीरापुर माफी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0-222/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 549/2021 धारा 147/323/452/354ख/504/506 भादवि थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ,
2. मु0अ0सं0 197/2013 धारा 363/366/506/376 भादवि थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ,
3. मु0अ0सं0 10/2024 धारा 420/384/467/468/471/506 भादवि, बिलारी, मुरादाबाद।
4. मु0अ0सं0 222/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिलारी मुरादाबाद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:

उ0नि0 श्री विपिन कुमार

कांस्टेबल सचिन सिंह

कांस्टेबल गिरीराज सिंह, थाना बिलारी, मुरादाबाद

3-जनपदीय पुलिस द्वारा 01 वारंटी तथा शांति व्यवस्था भंग करने में 31 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी तथा 12 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

वारंटी:-

थाना गलशहीद-01,

शांति व्यवस्था भंग के आरोपीगण विवरण:-

थाना मुगलपुरा-01, थाना कटघर-03,थाना गलशहीद-02,थाना सिविल लाइंस-04,थाना मझोला-03, थाना कांठ-12, थाना भगतपुर-03, थाना भोजपुर-03,

